झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल एम0पी0 संख्या–20 वर्ष 2019

संदीप खेवाला उर्फ संदीप खावला, उम्र लगभग 47 वर्ष, पिता–शिव शंकर खेवाला, निवास स्थान–51ए/1ए, एन0एस0 रोड, डाकघर एवं थाना–रिसरा, जिला–हुगली (पं0 बं0)

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री कौशिक सरखेल, अधिवक्ता।
श्री दीपंकर रॉय, अधिवक्ता।
श्री अभिषेक कु0 चतुर्वेदी, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– श्री प्रवीण कु0 अप्पू, अपर लोक अभियोजक।

02/21.02.2019 याचिकाकर्त्ता ने देवघर टाउन थाना काण्ड सं0–351/2018, जी0आर0 सं0–955/2018 में पारित दिनांक 01.11.2018 के आदेश को रद्द करने का माँग किया जिसके द्वारा इनके खिलाफ अ0प्र0सं0 की धारा 82 के तहत प्रकिया जारी की गई है।

एक आरोप पर कि याचिकाकर्त्ता एक फर्जी व्यवसायिक इंटरप्राइज दिखाकर करोड़ों रूपये का आई0टी0सी0 का दावा किया है, देवघर टाउन थाना काण्ड सं0–351 वर्ष 2018, जी0आर0 सं0–955 वर्ष 2018 के अनुरूप पंजीकृत किया गया है।

याचिकाकर्त्ता का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। उसका नाम सह–अभियुक्त–मोती साव के इकबालिया बयान में आया है। दिनांक 01.11.2018 के आदेश में कहा गया है कि जब जाँच अधिकारी ने याचिकाकर्त्ता के घर का दौरा किया तो उसके घर पर ताला लगा हुआ पाया गया। जाहिर है, इस तरह के तथ्य पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्त्ता गिरफ्तारी से बच रहा था या खुद को छिपा रहा था ताकि गैर–जमानती गिरफ्तारी न हो।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्त्ता का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है और वह मुख्य आरोपी नहीं है, मैं इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक हूँ और तद्नुसार, 01.11.2018 के लगाए गए आदेश को रद्द कर दिया गया है।

परिणाम में, क्रिमिनल एम0पी0 सं0–20 वर्ष 2019 को अनुज्ञात किया जाता है।

आदेश की एक प्रति फैक्स के माध्यम से संबंधित अदालत को प्रेषित करें।

ह0

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)